दिल्ली विधान सभा

कार्य मंत्रणा समिति

दसवां प्रतिवेदन

(19 मार्च, 1996 को प्रस्तुत)

DELHI VIDHAN SABHA

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

TENTH REPORT

(PRESENTED ON 19th March,1996)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय, दिल्ली ।

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT, DELHI

दिल्ली विधान सभा

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

दसवां प्रतिवेदन

§ 19 मार्च, 1996 को प्रस्तुत §

समिति का गठन

1.	श्री चरती लाल गोयल	सभापति
2.	श्री राजेन्द्र गुप्ता§मालवीय नगर§	सदस्य
3.	श्री आलोक कुमार	सदस्य
4.	श्री राम भज	सदस्य
5.	कु. पूर्णिमा सेठी	सदस्य
6.	श्री परवेज हाशमी	सदस्य
7.	श्री महेन्द्र सिंह साथी	सदस्य

सचिवालय

1.	श्री पी. एन. गुप्ता	सचिव
2.	श्री एस. के. शर्मा	संयुक्त सचिव
3.	श्री पी. सी. अग्रवाल	उप-सचिव
4.	श्री एस. के. श्रीवास्तव	समिति अधिकारी

कार्य मंत्रणा समिति की बैठक माननीय अध्यक्ष के कक्ष में सम्पन्न हुई ।

समिति को सूचित किया गया कि दिल्ली विधान सभा का नौंवा §तीसरा बजट§ सत्र 18 मार्च, 1996 को माननीय उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण के साथ प्रारम्भ होगा ।

समिति ने उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिये 4 दिन का समय आबंटित करने का निर्णय लिया ।

समिति को सूचित किया गया कि वित्त मंत्री सदन में लेखा अनुदान और तत्पश्चात् दो विधेयक - विनियोग विधेयक (संख्या-1) दिल्ली, 1996 एवं विनियोग लेखा अनुदान विधेयक, 1996 प्रस्तुत करेंगे । इन दोनों विधेयकों के पुरःस्थापन एवं पारण के लिये समिति ने निम्नानुसार समय का आबंटन किया है :-

I.	विनियोग (संख्या-1) विधेयक, दिल्ली, 1996	1 घंटा
II.	विनियोग लेखा अनुदान विधेयक, 1996	

विधायी कार्य मंत्री ने समिति को सूचित किया कि पहले से ही पुरःस्थापित निम्नलिखित विधेयकों को विचारण के लिये लिया जाना है :-

1. दिल्ली धूम्रपान निषेध एवं धूम्रपान न करने वालों का स्वास्थ्य प्रतिरक्षा विधेयक, 1995 पर गठित प्रवर समिति का प्रतिवेदन ।
2. स्माल कॉजिज कोर्टस (संशोधन) विधेयक, 1995 (विधेयक संख्या- 11/95)
3. दिल्ली राजभाषा विधेयक, 1995 (विधेयक संख्या-12/95)

समिति को यह भी सूचित किया गया कि निम्नलिखित नये विधेयक भी इस सत्र में पुरःस्थापित किये जा सकते हैं :-

1. दिल्ली लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 1996 -
   यह प्रावधान करने के लिये कि/इस संस्था के पास इसकी अवमानना के लिये लोगों पर आरोप लगाने का अधिकार नहीं होगा ।

2. पंजाब न्यायालय दिल्ली (संशोधन) विधेयक, 1996 -
   यह विधेयक अवकाशप्राप्त न्यायाधीशों को अवकाश के दौरान प्राप्त मामलों को न्याय की प्रक्रिया में विलम्ब को कम करने की दृष्टि से विभिन्न न्यायालयों को सौंपने का अधिकार प्रदान करता है ।

3. स्थानीय स्वायत्त शासन अयोग्यता विधेयक -
   इस विधेयक में ऐसे व्यक्तियों, जिनके दो से अधिक संतानें हैं, उन्हें दिल्ली नगर निगम सहित, स्थानीय निकायों का चुनाव लड़ने से अयोग्य करार देने का प्रावधान किया गया है ।

4. दिल्ली विधान सभा अयोग्यता निवारण विधेयक, 1996 -

दिल्ली विधान सभा के किसी सदस्य को दिल्ली सरकार के किसी सार्वजनिक उपक्रम, वैधानिक निकाय, निगम आदि का सदस्य या अध्यक्ष नियुक्त होने पर अयोग्य न ठहराये जाने का प्रावधान करने के लिये ।

समिति ने सिफारिश की कि इन विधेयकों के पारण एवं विचारण के लिये निम्नानुसार दो घंटे के समय का आबंटन किया जाये :-

1.	दिल्ली धूम्रपान निषेध एवं धूम्रपान न करने वालों का स्वास्थ्य प्रतिरक्षा विधेयक, 1995 पर गठित प्रवर समिति का प्रतिवेदन	15 मिनट
2.	स्मॉल काजिज कोर्ट्स दिल्ली (संशोधन) विधेयक, 1995	10 मिनट
3.	दिल्ली लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 1995	10 मिनट
4.	पंजाब न्यायालय दिल्ली (संशोधन) विधेयक, 1996	10 मिनट
5.	स्थानीय निकाय अयोग्यता विधेयक, 1996	30 मिनट
6.	दिल्ली विधान सभा (अयोग्यता निवारण) विधेयक, 1996	15 मिनट
7.	दिल्ली राजभाषा विधेयक, 1995	30 मिनट

अल्पकालिक चर्चा

समिति ने निर्णय लिया कि निम्नलिखित विषयों पर अल्पकालिक चर्चा होगी :-

क्र. सं.	सदस्य का नाम	सूचना का विषय
1.	श्री राम भज श्री नन्द किशोर गर्ग श्री हरिकृष्ण श्री स्वरूप चन्द राजन श्री पूरण चन्द योगी	दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकलापों पर चर्चा ।

2.	श्री जग प्रवेश चन्द्र	दिल्ली में वायु-प्रदूषण की बढ़ती मात्रा पर चर्चा ।
3.	कु0 पूर्णिमा सेठी	विभिन्न बाल गृहों, वृद्धाश्रमों, रिमांड होम्स, कुष्ठ आश्रम आदि के कार्यों के संबंध में ।

समिति ने श्री परवेज हाशमी को और उनकी अनुपस्थिति में कु. पूर्णिमा सेठी को सदन में समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किया ।

चरती लाल गोयल
सभापति
कार्य मंत्रणा समिति

REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
(10TH REPORT)

PRESENTED ON 19th March, 1996.

Constitution of the Committee

1.	Shri Charti Lal Goel	Chairman
2.	Shri Rajendra Gupta	Member
3.	Shri Alok Kumar	Member
4.	Shri Ram Bhaj	Member
5.	Kum. Purnima Sethi	Member
6.	Shri Parvez Hashmi	Member
7.	Shri Mahinder Singh Saathi	Member

Secretariat

1.	Shri P.N. Gupta	Secretary
2.	Shri S.K. Sharma	Joint Secretary
3.	Shri P.C. Agarwal	Deputy Secretary
4.	Shri S.K. Srivastav	Committee Officer

The Business Advisory Committee met in the Chamber of Hon'ble Speaker.

The Committee was informed that the IXth (III Budget) Session of the Delhi Legislative Assembly will commence on 18th March, 1996 with the Lt. Governor's Address.

The Committee decided to allot 4 days for discussion on Lt. Governor's Address.

The Committee was informed that the Finance Minister would present Vote on Account and consequent two Bills namely Appropriation Bill No.1, Delhi, 1996 and Appropriation of Vote on Account Bill, 1996 in the House. For the introduction and passing of these two bills the Committee allotted the time as under:-

i) Appropriation No. Bill, Delhi, 1996) One
ii) Appropriation of Vote on Account bill, 1996) Hour

The Minister of Parliamentary Affairs informed the Committee that the following bills already introduced shall be taken up for consideration:-

1. Report of Select Committtee on the Delhi Prohibition of Smoking and Non-Smokers' Health Protection Bill, 1995.
2. Provincial Small Causes Courts Delhi (Amendment) Bill, 1995 (Bill No. 11/95).
3. Delhi Official Language Bill, 1995 (Bill No. 12/95).

The Committee was further informed that the following official bills are likely to be introduced in this session:-

1. Delhi Lokayukta and Up-Lokayukta Act, 1995 (Amendment) Bill, 1996.
2. Punjab Courts Delhi (Amendment) Bill, 1996.
3. Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill, 1996 Disqualification of Councillor on account of having more than two children.
4. Prevention of Disqualification Bill, 1995.

The Committee recommended that two hours may be allocated for the above bills.

ALLOCATION OF TIME

For the consideration and passsing of the Bills the Committee allotted time as shown against each below:-

1.	Report of Select Committee on the Delhi Prohibition of Smoking and Non-Smokers' Health Protection Bill, 1995.	15 minutes
2.	Provisioncial Small Causes Courts Delhi (Amendment) Bill, 1995.	15 minutes
3.	Delhi Lokayukta & Up-Lokayukta (Amendment) Bill, 1996.	10 minutes
4.	Punjab Courts Delhi (Amendment) Bill, 1996.	10 minutes
5.	Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill, 1996 - Disqualification of a Councillor on account of having more than two children.	30 minutes
6.	Prevention of Disqualification Bill, 1996.	15 minutes
7.	Delhi Official Language Bill, 1995.	30 minutes

SHORT DURATION DISCUSSION

Sl. No.	Name of Member	Text of Notice
1.	Shri Ram Bhaj Shri Nand Kishore Garg Shri Hari Krishan Shri Swarup Chand Rajan Shri Puran Chand Yogi	Discussion on the functioning of D.D.A.
2.	Shri Jag Parvesh Chandra	To discuss the rising quantum of air-pollution in Delhi.
3.	Kum. Purnima Sethi	Regarding affairs of different children homes, old age homes, remand homes, leprosy homes, etc.

The Committee authorised Kum. Purnima Sethi and in her absence Shri Parvez Hashmi to present the report in the House.

CHARTI LAL GOEL,
CHAIRMAN,
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE.